

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या: 175/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय तल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्रीमती रेहाना खान पत्नी श्री साबीर खान,
पता :- प्लॉट नम्बर 273, हसनपुरा, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर।
2. श्री साजीद खान पुत्र श्री साबीर खान,
पता :- प्लॉट नम्बर 273, हसनपुरा, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर।
एवं एस.एस. एंटरप्राईजेज, एस-56-बी, बरकत नगर चौराहा, टोंक फाटक, जयपुर।
एवं सी-106, परिवहन नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर।
3. श्री मोहम्मद जबीर खान पुत्र श्री साबीर खान,
पता :- पी-9, न्यू करणी कॉलोनी, खातीपुरा पुलिया, झोटवाडा, कूट की मशीन के पीछे,
जयपुर।
एवं प्लॉट नम्बर 273, हसनपुरा, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर।

अप्रार्थीगण ऋणी




The application under section 14 of the Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002

उपस्थित :- श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक : 09.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.04.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रेहाना खान के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 85, रॉयल रेजीडेन्सी, फेस-प्रथम, सांरगपुरा एवं रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 38,49,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 38,49,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन. पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 42,11,938/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 03.01.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रेहाना खान के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 85, रॉयल रेजीडेन्सी, फेस-प्रथम, सांरगपुरा एवं रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजनी विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर